187

संख्या– /XVI(1)/15/7(12)/14

प्रेषक,

वीरेन्द्र पाल सिंह,
उप सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण
उद्यान भवन, चौबटिया, रानीखेत।

उद्यान एवं रेशम अनुभाग:–1

देहरादूनः दिनांक 28 जुलाई, 2015

विषयः–वित्तीय वर्ष 2015–16 के अन्तर्गत अनुदान संख्या–31, के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवमुक्त की जाने वाली धनराशि के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वित्त अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या–400/XXVII (1)/2015 दिनांक–1 अप्रैल, 2015, एवं 645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून 2015 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 में विभागीय अनुदान संख्या–29, 30 एवं 31 के आयोजनागत पक्ष के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं हेतु प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष **अनुदान संख्या–31 की विभिन्न योजनाओं हेतु रू0 18,58,000.00 (रू0 अठ्ठारह लाख अठ्ठावन हजार मात्र)** संलग्न विवरण एवं कम्प्यूटर आई0डी सहित आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्न शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:–

(1) इस धनराशि का व्यय केवल चालू कार्यो के लिये ही किया जायेगा।

(2) उक्त व्यय करते समय वित्त विभाग के उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या–400/XXVII (1)/2015,दिनांक–1 अप्रैल, 2015 एवं 645/XXVII(1)/2015 दिनांक 04 जून 2015 (छायाप्रति संलग्न)में दिये गये दिशा–निर्देशों तथा शासन द्वारा समय–समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों एवं बजट मैनुअल के सुसंगत नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

(3) किसी भी शासकीय व्यय हेतु प्रोक्योरमेन्ट रूल्स,2008, भण्डार कय प्रकिया (स्टोर्स पर्चेस रूल्स) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिष्पादन नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–1 आय व्यय सम्बन्धी नियम शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) बजट प्राविधान से अधिक किसी भी दशा में न तो व्यय किया जाय और न ही पुनर्विनियोग व अन्य माध्यम से अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में कोई व्ययभार/दायित्व सृजित किया जायेगा।

(5) अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग त्रैमास के आधार पर शासन को उपलब्ध करायी जाय, जिससे राज्य स्तर पर कैशफ्लों निर्धारित किए जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

(6) व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थाई आदेशों के अन्तर्गत शासकीय तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो तो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

(7) व्यय केवल उन्हीं मदों में किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति निर्गत की जा रही है, साथ ही किसी भी प्रकार के मद परिवर्तन का अधिकार विभाग के पास नहीं रहेगा।

कमशः——2

(8) व्यय की सूचना निर्धारित बजट मैनुअल के प्रपत्रानुसार प्रत्येक माह की 20 तारीख तक वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध कराई जाय तथा इन मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय मासिक आधार पर किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के अनुरूप ही किया जायेगा।

(9) उक्तानुसार स्वीकृत धनराशि विभाग के नियंत्रणाधीन सम्बन्धित आहरण वितरण अधिकारियों को तात्कालिकता से अवमुक्त कर दी जाय,ताकि फील्ड स्तर पर बजट उपलब्ध न होने की स्थिति उत्पन्न न हो।

(10) लघु निर्माण कार्य कराये जाने से पूर्व आगणनों का शासन/टी0ए0सी0 से परीक्षण कराये जाने हेतु प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाय, तदोपरान्त स्वीकृति प्राप्त होने पर ही कार्य कराया जाय।

(11) विभागाध्यक्ष स्तर से आहरण–वितरण अधिकारियों तथा कोषाधिकारियों को अवमुक्त धनराशि का विवरण प्रत्येक माह वित्त विभाग को अवश्य उपलब्ध करायी जायेगी।

(12) मजदूरी तथा व्यावसायिक सेवाओं के लिये भुगतान मदों के अन्तर्गत आउटसोर्सिंग से कार्मिकों की संख्या सम्बन्धित इकाई में सक्षम स्तर के स्वीकृत परन्तु रिक्त पदों की अधिकतम सीमा अन्तर्गत अथवा वित्त विभाग की पूर्व सहमति से स्वीकृत सीमा, इनमें जो भी कम हो, के अन्तर्गत ही रहेगी।

(13) योजनागत पक्ष में चालू योजनाओं एवं चालू निर्माण कार्यो के लिये (आयोजनेत्तर पक्ष सहित) आय–व्ययक के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि प्रशासनिक विभाग/बजट नियंत्रक अधिकारी द्वारा आहरण–वितरण अधिकारियों को एकमुश्त जारी न करते हुए चार चरणों में इस प्रतिबन्ध के साथ निर्गत कर दी जायेगी कि नियमानुसार एवं वास्तविक व्यय के अनुसार ही किश्तों में धनराशि आहरित एवं व्यय की जायेगी एवं द्वितीय किश्त को प्रथम किश्त के उपयोगिता प्रमाण प्राप्त होने के उपरांत ही जारी किया जायेगा, का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कर शासन को भी अवगत कराना सुनिश्चित किया जाय।

(13) इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015–16 के आय–व्ययक में विभागीय अनुदान संख्या–31, के अंतर्गत संलग्नक–1, के विवरणानुसार योजना के सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामे डाला जायेगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीया,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।

संख्या– 66 /XVI(1)/15/7(12)/2014 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग माजरा, देहरादून।
2– आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौडी/कुमायूँ मण्डल,नैनीताल।
3– समस्त जिलाधिकारी,उत्तराखण्ड।
4– निदेशक बागवानी मिशन राजकीय उद्यान सर्किट हाउस देहरादून।
5– समस्त वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6– वित्त अनुभाग–4, उत्तराखण्ड शासन।
7– बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय,उत्तराखण्ड।
8– राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर देहरादून।
9– गार्ड फाईल।

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
उप सचिव।

शासनादेश संख्या 66 /XVI(1)/15/7(12)/2014 दिनांक 29 जुलाई 2015 का संलग्नक–1

अनुदान संख्या–31

धनराशि हजार में

क0	योजना का नाम/मद का नाम	प्राविधान 2015–16	स्वीकृत धनराशि 2015–16
	राज्य सैक्टर(टी0एस0पी0)–		
1	03–उत्तरांचल में जनजाति क्षेत्रों/व्यक्तिगत विकास हेतु औद्यानक विकास		
	20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	2283	571
	योग–03	**2283**	**571**
2	04–राजकीय उद्यानों का सुदृढीकरण		
	02– मजदूरी	2072	518
	08– कार्यालय व्यय	20	5
	09–विद्युत देय	60	15
	10–जलकर/जलप्रभार	5	1
	11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	22	6
	12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1	0
	13–टेलीफोन	1	0
	15– गाडियो का अनुरक्षण और पैट्रोल आदि की खरीद	200	50
	18–प्रकाशन	15	4
	24– वृहद निर्माण कार्य	1	0
	25–लघु निर्माण कार्य	1	0
	26–मशीनें सज्जा/उपकरण एवं संयंत्र	2	1
	29–अनुरक्षण	150	38
	31– सामाग्री और सम्पूर्ति	1200	300
	42– अन्य व्यय	150	38
	योग– 04	**3900**	**976**
3	06–मधुमक्खी पालन योजना		
	20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	200	50
	21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	44	11
	31– सामाग्री और सम्पूर्ति	1	0
	योग– 06	**245**	**61**
4.	29–घेरबाड योजना		
	20– सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	1000	250
	योग– 29	**1000**	**250**
	कुल योग अनुदान संख्या–31	**7428**	**1858**

रू018,58,000.00(रू0 अठारह लाख अठावन हजार मात्र)

(वीरेन्द्र पाल सिंह) उप सचिव।